बातचीत के बिंदु-31

मजदूर –किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

उर्वरक और उर्वरक मजदूर

आजादी के बाद से हमारे देश में कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। आज, हम अनाज की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, बढ़े हुए उत्पादन का आधे से अधिक उर्वरकों के उपयोग के कारण हुआ है। पूर्ण रूप से हमारे देश में कृषि भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर एऩपी़के (नाईट्रोजऩ+फॉस्फोरस+़पोटाश) उर्वरकों की खपत 1951–52 में प्रति हेक्टेयर 1 किलोग्राम से बढ़कर 2016–17 में 130.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। लेकिन अभी भी यह विकसित देशों की उर्वरक खपत से काफी कम और कुछ विकासशील देशों से भी कम है।

वर्तमान में हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन 2757 लाख टन है। अनुमान है कि, बढ़ती आबादी के कारण हमारे देश की माँग को पूरा करने के लिए, 2025 तक खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कर उसे लगभग 3100 लाख टन तक करना आवश्यक है।

खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि की सीमा को ध्यान में रखते हुए, कृषि उत्पादन में और अधिक वृद्धि केवल बेहतर जल प्रबंधन, सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार, बेहतर कृषि प्रथाओं, अनुसंधान और विकास के वैज्ञानिक उपयोग में अनुसंधान और विकास के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही उर्वरकों के अधिक व्यापक और संतुलित उपयोग की आवश्यकता है। इसलिए एक समृद्ध ग्रामीण आधार बनाने में, विशेष रूप से हमारी ग्रामीण आबादी की आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए उर्वरकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी महत्व हैं। देश में आवश्यक उर्वरक पोषक तत्वों का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है और तभी देश को एक अनाज अधिशेष (सरप्लस) राष्ट्र में परिवर्तित किया जा सकता है।

उर्वरक क्षमता एक नजर में

वर्तमान में देश में 30 बड़े आकार की यूरिया विनिर्माण इकाईयाँ हैं। इसके अलावा, 21 इकाईयाँ डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करती हैं और 2 इकाईयाँ एक उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट का निर्माण करती हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अलावा, भारतीय किसानों के उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) और कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (क्रभको) जैसे सहकारी क्षेत्र भी उर्वरक उद्योग में काम कर रहे हैं। 2016–17 में देश में यूरिया और डीएपी और मिश्रित उर्वरकों की कुल स्वदेशी उत्पादन क्षमता क्रमशरू 207.54 और 146.00 मिलियन टन थी।

घरेलू उत्पादन, माँग और आयात

हर साल 5% की दर से उर्वरकों की माँग बढ़ रही है। लेकिन उत्पादन के लिए स्वदेशी क्षमता तदनुसार नहीं बढ़ी है। पिछले 25 वर्षों के नवउदार शासन के दौरान वस्तुतः कोई क्षमता वृद्धि नहीं हुई है। नतीजतन, हमारा देश बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर हो गया है। हमारे देश में किसी भी पोटाश का कोई रिजर्व नहीं हैय पूरी आवश्यकता केवल आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। यूरिया, डीएपी और

यहां तक कि मिश्रित उर्वरक एनपीके को पिछले वर्षों में बड़ी मात्रा में आयात किया गया है। उर्वरकों के लिए आयात बिल इहुत अधिक बढ़ा है। यह बड़ी चिंता का विषय है

सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों का विघटन

स्वतंत्रता के बाद उर्वरक उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र बहुत आगे था। सिंदरी उर्वरक संयंत्र वास्तव में देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग था, जिसमें उर्वरक अनुसंधान गतिविधि के साथ कोई 14 संयत्रों और एक योजना और विकास संगठन की स्थापना भारत के उर्वरक निगम के बैनर के तहत की गई थी। 1970 के उत्तरार्ध में, इसे 5 कम्पनियों में विभाजित किया गया था, जैसे कि उर्वरक निगम लिमिटेड (एफसीआईएल), हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड (एचएफसीएल), राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एनएफएल), राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफ) और परियोजनाएं और विकास भारत लिमिटेड (पीडीआईएल)। इसके अलावा फर्टीलाईजर्स एण्ड कैमीकल्स त्रावणकोर (एफ.ए.सी.टी.), मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल), पाइराइट, फॉस्फेट और केमिकल्स लिमिटेड (पीपीसीएल) और पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड (पीपीएल) के तहत कुछ और सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र थे। लेकिन देश में नवउदार शासन के आगमन के बाद सरकार द्वारा इस प्रभुत्व को अनुमति नहीं दी गई। आरसीएफ, एनएफएल, एमएफएल और पीपीएल जैसे लाभ कमाने वाली कम्पनियों का विनिवेश शुरू हुआ। यद्यपि आज भी सरकार इन कम्पनियों में बहुमत शेयर रखती है, परन्तु जिस तरह से वर्तमान भाजपानीत सरकार निजीकरण पर जा रही है, कल क्या होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

निजीकरण के लिए अपनी उत्सुकता और अपने नवउदार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व एनडीए सरकार ने तर्क दिया कि देश में उर्वरकों का उत्पादन असंभव था; कि मौजूदा इकाईयों में उत्पादन की मशीनरी और प्रक्रिया अप्रचलित हो गई है; अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक बहुत सस्ते में उपलब्ध थे। इस बहाने, 2002– 2003 में, इसने सात सार्वजनिक क्षेत्र की यूरिया उत्पादन इकाईयों को बंद कर दिया, जो ज्यादातर देश के सिंदरी (झारखंड), बरौनी (बिहार), दुर्गापुर और हल्दिया (पश्चिम बंगाल), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रामगुंडम (तेलंगाना) और तलचर (ओडिशा) पूर्वी क्षेत्र में हैं। इसके साथ ही, पीपीसीएल के 3 फॉस्फोटिक उर्वरक संयंत्र भी बंद कर दिए गए थे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से, कई निजी और सहकारी उर्वरक विनिर्माण संयंत्र लगे हैं। समय के साथ, निजी क्षेत्र में उत्पादन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन को पीछे छोड़ दिया।

संयंत्रों के बन्द होने के बाद की स्थिति

उर्वरक क्षेत्र में इतनी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को बंद करने के बाद स्थिति भयावह हो रही है। निर्णय स्पष्ट रूप से दूरदर्शिता की कमी थी। 2003 से, हमारा देश उर्वरकों के मामले में आयात पर निर्भर हो रहा है। 2015–16 में हमने 525 अरब रुपये के 183.54 लाख टन उर्वरकों का आयात किया था। अगर केवल यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों को ध्यान में रखा जाता है, तो स्वदेशी उत्पादन के लगभग 37% का ही 2015–16 में आयात किया गया था, जबकि 2002–2003 में, हमने शायद ही 1–2% आयात किया था। विशेष रूप से यूरिया का अंर्तराष्ट्रीय मूल्य स्थिर नहीं रहा। यह ज्यामितीय अनुपात में बढ़ा है, प्रति टन 80–120 अमरीकी डॉलर से 800 अमरीकी डालर तक। आज, डीएपी जैसे उर्वरक के लिए हम लगभग पूरी तरह मोरक्को और चीन पर निर्भर करते हैं। जबकि फॉस्फेट आयात करने वाली कम्पनियों को भारी सब्सिडी दी जाती है, किसानों को लाभ अर्जित नहीं होते हैं क्योंकि नियंत्रण ख्त्म होने के बाद फार्म गेट कीमतें ये कम्पनियाँ तय करती हैं। फिर भी, पिछले पंद्रह वर्षों के दौरान केंद्र में लगातार सरकारें बंद उर्वरक संयंत्रों को पुनर्जीवित करने या नई यूरिया उत्पादन इकाईयों को खोलने के मुद्दे पर टालमटोल करती रही हैं। नवउदारवाद के अभिन्न अंग के रूप में, वे निजी निवेशकों द्वारा इस क्षेत्र में निवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

लेकिन उर्वरक उद्योग अत्यधिक पूंजी गहन है। तकनीक परिष्कृत है। विदेशी लाइसेंसदाताओं से प्रक्रिया प्राप्त किया जाना जरुरी है। सबसे ऊपर, इस क्षेत्र में लाभप्रदता अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है।

इस प्रकार यह निजी क्षेत्र के लिए बहुत आकर्षक साबित नहीं हुआ। लंबे इंतजार के बाद, सरकार अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि सार्वजनिक क्षेत्र उर्वरक इकाईयों को पुनर्जीवित करना विकल्प था। हाल ही में सिंदरी, बरौनी, गोरखपुर, रामगुंडम और तलचर में सात बंद यूरिया संयंत्रों में से पांच को आरसीएफ, एनएफएल, गेल, सीआईएल, एनटीपीसी और ईआईएल आदि जैसे विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के एक संघ के माध्यम से पुनर्जीवित करने का फैसला किया गया था। लेकिन, एक में भेदभावपूर्ण कदम के रुप में, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर और हल्दिया संयंत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया था, क्योंकि टीएमसी शासित राज्य सरकार ने कुछ लंबे समय के बकाया को छोड़ने में हिचकिचाहट दिखाई।

भारी ठेकाकरण

नवउदार शासन के तहत, उर्वरक क्षेत्र में नियमित श्रमिकों को रोजगार देने का इतिहास भी कमजोर कर दिया गया है। जैसा कि अन्य क्षेत्रों में है यहाँ भी, विभिन्न बारहमासी गतिविधियों में ठेकेदारीकरण और आउटसोर्सिंग आम बात हो गयी है। उद्योग में अनुबंध श्रमिकों की संख्या अब स्थायी श्रमिकों की संख्या को पार कर गई है। कहने की जरूरत नहीं है, अनुबंध श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों की मजदूरी का केवल तीसरा या चौथाई भुगतान किया जाता हैय वे अन्य सभी लाभों से वंचित हैं।

निष्कर्ष

उर्वरक, प्रमुख कृषि इनपुट में से एक के रूप में, खाद्य उत्पादन बढ़ाने और देश की अनिवार्य रूप से आवश्यक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश पहले ही उर्वरकों की गम्भीर कमी का सामना कर रहा है। लगातार सरकारों, मंत्रियों और नौकरशाहों ने देश को आयात पर निर्भर किया है। किसान बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि जैसे सभी अवयवों की भारी मूल्य वृद्धि का सामना कर रहे हैं। सरकार द्वारा सुनिश्चित किए गए समय में सभी अवयवों की उपलब्धता अब बाजारों पर छोड़ दी गई है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लगभग समाप्त ही कर दिया है। किसानों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं और वे धीरे–धीरे खेती में रुचि खो रहे हैं। पूरे देश में किसानों की आत्महत्या पहले ही गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। कृषि में गंभीर संकट के समय, इससे देश की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी।

इसलिए ऐसे कदम उठाये जायें, जिससे उर्वरकों की स्वदेशी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। हालांकि, नव उदारवादी शासन के लिए प्रतिबद्ध सरकारें ऐसा करने में बुरी तरह विफल रही हैं। इसके बजाए, सरकार की चल रही उर्वरक नीतियां वास्तव में देश को एक कठिन परिस्थिति में धकेल रही हैं। स्थिति सरकार की नीतियों के खिलाफ श्रमिकों और किसानों के एकजुट आंदोलन की माँग करती है।

5 सितंबर 2018 को 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक उत्पादन की स्वदेशी क्षमता में वृद्धि की माँग करने के लिए है। किसानों को किफायती कीमतों पर उर्वरकों समेत सभी कृषि अवयवों की आपूर्ति की माँग करना है। यह ठेकेदारी को खत्म करने तथा समान काम के लिए समान वेतन की माँग के लिए है। यह नवउदार नीति व्यवस्था को उलटने की माँग करने के लिए है जो निजी निगमों को रियायतों, छूट और उनके मुनाफे को बढ़ाने के पक्ष में है और आम लोगों, मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों पर भारी बोझ डालती है। यह सरकार को चेतावनी देने के लिए है कि ऐसी मजदूर–विरोध, किसान–विरोधी व जन–विरोधी नीतियों को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एकजुट हों! संघर्ष करो!